मेरठ विकास प्राधिकरण

की

57वीं बोर्ड बैठक

दिनॉक 27–8–98

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 27-8-98

समय : 9-00 बजे अपरान्ह

स्थान : आयुक्त सभाकक्ष

उपस्थिति :

1-	श्री एन०ए०विश्वनाथन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री जितेन्द्र बिष्णु	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री अतुल कुमार गुप्ता	सचिव, आवास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।	सदस्य
4-	श्री संजय अग्रवाल	जिलाधिकारी, मेरठ ।	सदस्य
5-	श्री श्री रामसरन सिंह	अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ	सदस्य
6-	श्री अमित अग्रवाल	माननीय विधायक, मेरठ कैन्ट	सदस्य
7-	श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	माननीय विधायक, मेरठ शहर	सदस्य
8-	श्री हाजी निजामुददीन	सभासद	सदस्य
9-	श्री राजीव खोकर	सभासद	सदस्य
10-	श्रीमती राखी त्यागी	सभासद	सदस्य
11-	श्रीभीम सिंह	सभासद	सदस्य
12-	श्री सतीश चन्द्र घिल्डियाल	चीफ कोआर्डीनेटर प्लानर प्रतिनिधि आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद ।	सदस्य
13-	श्री वी०के० गुप्ता	सहयुक्त नियोजक (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
14-	श्री सत्यदेव भारद्वाज	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) नगरीय क्षेत्र, मेरठ ।	सदस्य
15-	श्री महेश सिंघल	जनप्रतिनिधि	सदस्य
16-	श्री जयपाल सिंह	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ ।	विशेष आमंत्री

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 27-8-98 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरणकी बोर्ड बैठक दिनाँक 27-8-98 को आयुक्त सभागार, मेरठ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में प्रात: 9-00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम बैठक में प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्न अधिकारी/जनप्रतिनिधि उपस्थित थे :-

1-	श्री एन०ए०विश्वनाथन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2-	श्री जितेन्द्र बिष्णु	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री अतुल कुमार गुप्ता	सचिव, आवास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।	सदस्य
4-	श्री संजय अग्रवाल	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
5-	श्री श्री रामसरन सिंह	अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ	सदस्य
6-	श्री अमित अग्रवाल	माननीय विधायक, मेरठ कैन्ट	सदस्य
7-	श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	माननीय विधायक, मेरठ शहर	सदस्य
8-	श्री हाजी निजामुददीन	सभासद	सदस्य
9-	श्री राजीव खोकर	सभासद	सदस्य
10-	श्रीमती राखी त्यागी	सभासद	सदस्य
11-	श्रीभीम सिंह	सभासद	सदस्य
12-	श्री सतीश चन्द्र बिल्डियाल	चीफ कोआर्डीनेटर प्लानर प्रतिनिधि आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद।	सदस्य
13-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक (मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि)	सदस्य
14-	श्री सत्यदेव भारद्वाज	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) नगरीय क्षेत्र, मेरठ।	सदस्य
15-	श्री महेश सिंघल	जनप्रतिनिधि	सदस्य
16-	श्री जयपाल सिंह	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मेरठ।	विशेष आमंत्री

मद संख्या - 1

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यवृत्त में विशेष अतिरिक्त मद के बिन्दु-7 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के लिये सी०डी०ए० आफिस के सामने जमुनिया वाला बाग का स्थल चयनित कर लिये जाने का निर्णय गत बैठक दिनाँक 30-3-98 में हो गया था। यह भूमि मेरठ कालिज की है जिसके द्वारा इसे कार्य हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा। निर्देश दिये गये कि चिल्ड्रन पार्क की स्थापना हेतु कार्य योजना तैयार करने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जायें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त बैठक समाप्ति के बाद शीघ्रतिशीघ्र तैयार किया जाना चाहिए तथा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरुप सभी तथ्य कार्यवृत्त में आने चाहिए।

उपरोक्त टिप्पणी के साथ गत बैठक दिनाँक 30-3-98 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

अनुपालन मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98 में पारित प्रस्ताव पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जे०सी०बी० मशीन क्रय किये जाने कीप्रगति की जानकारी चाही गयी। अवगत कराया गया कि जे०सी०बी० क्रय करने हेतु वित्तीय बर्ष 98-99 के बजट में रुपये 16 लाख का प्राविधान कर लिया गया है परन्तु प्राधिकरण की बिषम वित्तीय स्थिति के कारण जे०सी०बी० मशीन क्रय किया जाना सम्भव नहीं हो सका। जे०सी०बी० मशीन क्रय किये जाने की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत करखते हुए निर्णय लिया गया कि जे०सी०बी० मशीन दिनाँक 30-11-98 तक क्रय कर लिया जायेगा।

यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा बाहय विकास शुल्क 60/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से लिये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, माननीय सदस्य द्वारा मामला उठाया गया। बोर्ड बैठक दिनाँक 17-9-97 में लिये गये निर्णय के क्रम में अवगत कराया गया कि रुपये 60/- प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क उद्यमियों से तीन किस्तों में सब्याज लिये जाने का निर्णय पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिया जा चुका है। और उसके अनुरुप ही विकास शुल्क लिया जा रहा है। चर्चा के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि इन मानचित्रों की स्वीकृति से जो बाहय विकास शुल्क प्राधिकरण द्वारा एकत्रित किया जा रहा है उसका व्यय इसी क्षेत्र के बाहय विकास कार्यो पर किया जाना चाहिए। माननीय विधायक/सदस्य श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने विचार व्यक्त किये कि इस क्षेत्र में नक्शा पास करने का अधिकारी यू०पी०एस०आई०डी०सी० को है तो विकास व्यय नहीं लिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा विकसित औद्योगिक मानचित्रों की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष के अधिकार यू०पी०एस०आई०डी०सी० के क्षेत्रीय प्रबन्धक को पूर्व में ही प्रतिनिधायित है तथा उनके द्वारा ही मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान की जाती है चूँकि इस भूमि का बाहय विकास शुल्क यू०पी०एस०आई०डी०सी० ने उद्यमियो से प्राप्त नहीं किया है और न ही यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा बाहय विकास का कार्य किया गया है अत: विकास शुल्क की देयता तो उद्यमियों/यू०पी०एस०आई०डी०सी० पर रहेगी। यदि यू०पी०एस०आई०डी०सी०द्वारा स्वयं औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्य कराये जाते एवं प्राधिकरण द्वारा विकसित किसी बाहय विकास सुविधाओं पर इसका भार नहीं डाला जाता तभी विकास प्राधिकरण को बाहय विकास शुल्क न दिये जाने की बात स्वीकार की जा सकती हैं

निर्णय लिया गया कि चूँकि यू०पी०एस०आई०डी०सी०द्वारा यह क्षेत्र विकसित है अत: इस क्षेत्र की समस्त बाहय सुविधायें यू०पी०एस०आई०डी०सी०द्वारा विकसित की जानी चाहिए तथा विकास प्राधिकरण के बाहय विकास सिस्टम पर किसी प्रकार भारित नहीं किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के उद्यमियों तथा यू०पी०एस०आई०डी०सी०के क्षेत्रीय

प्रबन्धक व अपर निदेशक उद्योग के साथ पूर्व निर्देशित बैठक यथाशीघ्र उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कर ली जाये ।

अनुपालन मद संख्या - 3

प्राधिकरण द्वारा अर्जित भूमि प्रतिकरभुगतान के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई । जिलाधिकारी महोदय द्वारा गत बोर्ड बैठक में प्रतिमाह यथासम्भव एक करोड रुपये की धनराशि प्रतिकर के भुगतान में दिये जाने के निर्णय की ओर ध्यान आकर्षित किया गया तथा प्रतिकर की धनराशि अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति को उपलब्ध कराये जाने को कहा । उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की विषम वित्तीय स्थितियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए अवगत कराया गयाकि समस्त बिषम आर्थिक परिस्थितियों के बाबजूद प्राधिकरण ने वर्तमान वित्तीय बर्ष में रुपये 94.56 लाख की धनराशि प्रतिकर भुगतान हेतु उपलब्ध करायी है । प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति में निरन्तर सुधार लाने के प्रयास जारी हैं । प्राधिकरण के पास उपलब्ध भूमि/भवनों की बिक्री होने से प्राप्त धनराशि से भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा । प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों के बल्क सेल में विक्रय से जो भी धनराशि प्राप्त होगी उसका 50 प्रतिशत प्रतिकर के देयता के मद में उपलब्ध कराया जायेगा ।

माननीय विधायक एवं सदस्य श्री अमित अग्रवाल व श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने किसानों के अवशेष मुआवजे का भुगतान प्राथमिकता पर किये जाने पर बल दिया । चर्चा के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि व्यापार कर विभाग की जो धनराशि रुपये 45 करोड मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं हेतु अर्जित भूमि के प्रतिकर भुगतान के लिये जनपद न्यायालय द्वारा बैंकों से सीधे कुर्क कर भुगतान कर दिये गये है, उसके विपरीत शासन द्वारा प्राधिकरण की 1.86 करोड रुपये की एन०सी०आर० की किश्त का राज्यांश व्यापार कर के प्रति उपरोक्त देयता में समायोजित कर लिया गया है तथा इसी प्रकार आर०ए०एफ० को दी जाने वाली 50 एकड भूमि कामूल्य जो लगभग 5 करोड रुपये से अधिक है, को भी शासन द्वारा उपरोक्त देयता के मद में समायोजित किया जा रहा है ।

सचिव आवास, उ० प्र० शासन से अनुरोध है किया गया कि शासन द्वारा अपने बकाये के विरुद्ध तब तक समायोजन न किया जाये जब तक कि किसानों के प्रतिकर की देयता का भुगतान प्राधिकरण द्वारा न कर दिया जाये । सचिव, आवास द्वारा माननीय विधायकगण से भी अनुरोध किया गयाकि वे भी अपने स्तर से इस दिशा में ठोस प्रयास करें ।

मद संख्या - 3(5) के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी सूचना पर मेरठ बाईपास रोड के किनारे स्वीकृत हुए मानचित्रों के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई । प्रस्तुत किये गये विवरण के सम्बन्ध में जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि विवरण में जो 5 मामले दर्शाये गये हैं, क्या उनमें स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण हुआ है अथवा स्वीकृति के विपरीत कार्य किया गया है ? माननीय बिधायक एवं सदस्य श्री अमित अग्रवाल ने बताया कि दर्शाये गये विवरण से अधिक निर्माण कार्य हुए हैं । चर्चा के दौरान कुल 58 निर्माण होने की बात प्रकाश में आयी । निर्णय हुआ कि सूची में दर्शाये गये 5 स्वीकृत मामलों का परीक्षण किया जाये कि इनमें निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध हुआ है अथवा स्वीकृति के अनुसार ही कार्य हुआ है तथा अन्य 53 मामले जो इसमें शामिल नहीं है, उनका भी पूर्ण परीक्षण कर वस्तुस्थिति आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये जिसमें कि निर्माण का विवरण व किस अवधि में निर्माण कार्य हुए तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और यदि अनाधिकृत निर्माण हुए तो उसका दोषी कौन है, उत्तरदायित्व निर्धारण इन सब बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यह भी देखा जाये कि उक्त निर्माण मास्टर प्लान सीमा के अन्तर्गत निर्मित तो नहीं है तथा महायोजना के प्राविधानों का उल्लघंन तो नहीं हुआ है ?

अनुपालन मद संख्या - 6

कोल्ड स्टोरेज निर्माण हेतु नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के तहत अनापत्ति लिये जाने के बिन्दु पर चर्चा हुई । माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल द्वारा कहा गया कि एफिडेविट के आधार पर बिना नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम की अनापत्ति प्राप्त किये मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाने चाहिए । इस सम्बन्धमें उ० प्र० शासन के आवास विभाग के 1616/9-आ-3-

97-38/विविध/97 दिनाँक 1-5-97 के शासनादेश की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराया गया कि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना नक्शा पास किया जाना सम्भव नहीं है और जब तक नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम लागू है तब तक इसके प्राविधान को माना जाना आवश्यक है। बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया कि गत बैठक के निर्णय से सम्बन्धित लम्बित दोनों मामलों के सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय लेकर प्राधिकरणको अवगत करा दिया जाये।

अनुपालन मद संख्या - 7

इस सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि अध्यक्ष, एन०सी०आर० बोर्ड के पत्र दिनाँक 20-8-98 द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण को सूचित किया गया कि प्रशनगत प्रकरण में प्राधिकरण एवं सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधियों का पक्ष सुनने सभी अभिलेखों का अवलोकन करने एवं सम्यक विचारोपरान्त उनके द्वारा आदेश संख्या-1890/ भूउपयोग/ एन०सी०आर०/ 97-98 दिनाँक 5-12-97 निर्गत किये गये थे जिसमें स्पष्ट रुप से यह उल्लेख किया गया था कि प्रशनगत भूउपयोग परिवर्तन किया जाना महायोजना की भावना के विपरीत होगा तथा इसके लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सकता। अत: उक्त आदेश पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली - ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग के मेरठ बाईपास रोड पर बागपत चौराहा, गाजियाबाद-मेरठ एक्सप्रेस-हाईवे का सन्धि स्थल है। उक्त एक्सप्रेस-हाईवे का निर्माण विचाराधीन है। अत: उक्त स्थल के चारों ओर लगभग एक कि०मी० क्षेत्र में किसी बडे निर्माण कार्य को अनुमन्य किया जाना समीचीन नहीं होगा।

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये इस तथ्य के क्रम में एन०सी०आर० के प्रतिनिधि री एस०सी० घिल्डियाल द्वारा भी अवगत कराया गया कि मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण जापानी कम्पनी 'जायका' द्वारा कराया जाना विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में जापानी कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में स्थलीय निरीक्षण किया गया था तथा बागपत रोड

चौराहा जहाँ ग्राम रामपुर पाबटी की यह प्रशनगत भूमि है, उस स्थल पर एक किलोमीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य अनुमन्य किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि यह चौराहा एक्सप्रेस हाईवे का उदगम स्थल होगा ।

माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल द्वारा एन०सी०आर०बोर्ड के निर्णय पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी । चर्चा के दौरान मेरठ शहर में निजी क्षेत्र में मेडीकल कालेज के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने में सहयोग किया जाने पर बल दिया गया ।

सचिव, आवास द्वारा एन०सी०आर० के प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया कि वे प्रस्तावित हाईवे के एलाईनमेन्ट की प्रति मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को उपलब्ध करा दें ताकि इसके अनुरुप प्राधिकरण की प्रभावित हो रही विभिन्न योजनाओं में बाँछित प्राविधान कर लिया जाये ।

अनुपालन मद संख्या - 23

माननीय विधायक श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने जानना चाहा कि मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कम्यूनिटी सेन्टर के निर्माण हेतु सुदृढीकरण शुल्क, मानचित्र शुल्क एवं मलवा शुल्क में छूट दिये जाने का निर्णय क्यों लिया गया । अवगत कराया गयाकि बोर्ड बैठक ३०-३-९८ का विवरण उपलब्ध न होने के कारण तत्काल अवगत कराया जाना सम्भव नहीं है । निर्णय हुआ कि आगामी बोर्ड बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायें ।

अनुपालन मद संख्या - 27

माननीय विधायक श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा सरधना रोड रेलवे क्रासिंग से प्राधिकरण की श्रद्धापुरी योजना प्रथम चरण के तिराहे तक सडक को चौडा किये जाने सम्बन्धी कार्य को यथाशीघ्र कराये जाने पर बल दिया गया ।

अनुपालन मद संख्या - 28

जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि इस भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाने की बात उनकी जानकारी में आयी है । अत: निर्णय

लिया गया कि इस का परीक्षण करा लिया जाये कि किसी अन्य व्यक्ति का नाम तो दर्ज नहीं हो गया है ।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 1

आयुक्त/अध्यक्ष, मेरठ मण्डल/विकास प्राधिकरण, मेरठ के निर्णय से बोर्ड को अवगत कराया गया कि भूतल पर व्यवसायिक व प्रथम तल पर आवासीय निर्माण अनुमन्य होगा ।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 2

वैशाली कालोनी में नजूल भूमि से प्रभावित भूमि को छोडकर अन्य भूखण्डों के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं शमन किये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई । माननीय विधायक श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा इस कालोनी के मानचित्र स्वीकृति, निरस्तीकरण, नजूल भूमि, विकास शुल्क के लिये जाने आदि प्रकरण के सम्बन्ध में बिन्दु उठाये गये ।

निर्णय लिया गया कि आगामी बोर्ड बैठक में पत्रावली विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत की जाये ।

अनुपालन विशेष अतिरिक्त मद

विकास प्राधिकरण क्षेत्र में नगरीय यातायात नियोजन व्यवस्था में अपेक्षित सुधार किये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई । चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि मेरठ के सुनियोजित विकास के लिये एक सिंगल पाईन्ट एजेन्डा तैयार कर एक बैठक यथाशीघ्र करा ली जाये । सिंगल पाईन्ट एजेन्डे में अनाधिकृत रुप से विकसित कालोनियों को नियमित करने तथा मास्टर प्लान, ड्रेनेज, आरा मशीन, डेरी व गैस गोदाम आदि को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने आदि बिषयों का समावेश किया जाये ।

पी०एल०शर्मा रोड पर फुटपाथ का निर्माण सडक की चौडाई के अधिकांश भाग में पूर्व में किया गया था परनतु दूकानदारों द्वारा इसका प्रयोग अपना सामान फैलाकर किया जा रहा है जिससे सडक के यातायात में कठिनाई

आती है । निर्णय लिया गया कि फुटपाथ समाप्त कर सडक को पूर्व की भाँति नगर निगम द्वारा चौडा किया जाये ।

बच्चा पार्क के सौन्दर्यीकरण/विस्तार तथा सडक निर्माण का कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ किया गया किन्तु मूल योजना से हटकर कार्य हुआ । निर्णय हुआ कि पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा पूर्व में तैयार किये गये प्रस्ताव के अनुरुप बच्चा पार्क का सौन्दर्यीकरण कराया जाये और इस मार्ग का नाम पण्डित राम स्वरुप शर्मा मार्ग रखा जाये । हापुड स्टेन्ड, ईब्ज चौराहा एवं बागपत चौराहा के विस्तार/सौन्दर्यीकरण हेतु कम से कम लागत की एक योजना तैयार की जाये जिसके विकास/रखरखाव के लिये शहर के संस्थानों, औद्योगिक संस्थाओं/व्यक्तियों को आमन्त्रित किया जाये

थापर नगर नाले को पाटकर सडक बनाने की योजना जिलाधिकारी एवं आयुक्त महोदय की संस्तुति प्राप्त कर शासन को प्रेषित की जाये ।

मद संख्या - 3

प्राधिकरण की डा० राम मनोहर लोहिया नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत सैक्टर "आई" में 17.07 हैक्टेयर तथा सैक्टर "डी" में 19.62 हैक्टेयर भूमि पर भूखण्डीय विकास के भूविन्यास अनुमोदन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी । प्रस्तावित भू विन्यास मानचित्र के बारे में अवगत कराया गया कि भू विन्यास को स्वीकृत करने की शक्तियाँ उपाध्यक्ष में निहित है । निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष अपने स्तर से भूविन्यास मानचित्रों के मापदण्डों के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही सुनिशिचत करें । सदस्यों ने जानना चाहा कि क्या स्कूल, कालेज व स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु प्राधिकरण में नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्राविधान हैं ? अवगत कराया गया कि स्कूल-कालेज के लिये रियायती दर पर प्रीमियम लेकर भूमि आबंटन की जाती है ।

निर्देश दिये गये कि आगामी बोर्ड बैठक में यह गणना करके प्रस्तुत किया जाये कि सामुदायिक सुविधाओं हेतु नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने पर विक्रय हेतु क्षेत्र पर कितना अतिरिक्त भार आयेगा ।

माननीय विधायक श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने कन्या इन्टर कालेज व कन्या डिग्री कालेज हेतु नगर निम व प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया । इस सम्बन्ध में उन्होंने खसरा नम्बर 6041 जो नगर निगम की भूमि है, को कन्या इन्टर कालेज हेतु उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया तथा गंगानगर योजना में डिग्री कालेज हेतु भूमि उपलब्ध कराने की माँग की गयी ।

बैठक में चर्चा के दौरान माननीय विधायक लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा बताया गया कि लोहिया नगर योजना के 36 मीटर चौडे मुख्य मार्ग पर धार्मिक स्थल का निर्माण हो गया है जिससे मार्ग संकरा हो गया है और इससे हापुड रोड मुख्य मार्ग भी प्रभावित हुआ है जिसे शिफट कराकर चौडाई बरकरार रखने की समभावनाओं पर विचार किया जायें ।

मद संख्या - 4

शताब्दी नगर आवासीय योजना के सैक्टर-1 में लगभग 42815 वर्गमीटर भूमि का भूउपयोग मेरठ महायोजना - 2001 में "पार्क एवं खुले स्थल/ वन" से "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी । समान क्षेत्रफल शताब्दी नगर आवीय योजना के किसी अन्य सैक्टर में पार्क व खुले क्षेत्र के रुप में छोड देने की शर्त पर प्रशनगत 42815 वर्गमीटर का भूउपयोग पार्क/खुले स्थान/वन से आवासीय में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्देश दिये गये कि इस भूपरिवर्तन में निहित क्षेत्रफल पर तत्काल कोई विकास कार्य न किया जाये । पहले योजना प्रकाशित की जाये और कम से कम 50 प्रतिशत आबंटन हो जाने के बाद बोर्ड का अनुमोदन लेकर विकास कार्य किया जाये ।

मद संख्या - 5

मेजर ध्यान चन्द नगर (स्पोर्टस गुडस काम्पलेक्स) योजनान्तर्गत आल इण्डिया स्पोर्टस गुडस फैडरेशन से सम्बन्धित उद्यमियों को आबंटित भूखण्डों के विवादों के निस्तारण हेतु चौकीदारा शुल्क न लिये जाने एवं किश्तों की अदायगी में समय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 6

प्राधिकरण की अलोकप्रिय सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश दिनाँक 4 मई, 98 के प्रकाश में मूल मूल्यांकन पद्धति से किया जाये।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी। प्राधिकरण की बिषम आर्थिक स्थिति तथा लम्बे समय से अनिस्तारित पडी सम्पत्ति व निर्मित भवनों की दशा में निरन्तर क्षति होने के पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए आवास विकास परिषद द्वारा अपनायी गयी मूल मूल्यांकन पद्धति को आधार मानते हुए अनिस्तारित अलोकप्रिय सम्पत्ति के निस्तारण की अनुमति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि इसमें 'प्रथम आगत - प्रथम पावक' सिद्धान्त अपनायी जाये तथा पारदर्शिता बरती जाये एवं सबको अवसर की समानता प्रदान की जाये। एक कार्य योजना बनाकर योजनावार कार्यक्रम तैयार किया जाये जिसमें उपलब्ध सम्पत्ति, विक्रय मूल्य व विक्रय की तिथि की पूर्ण जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध करायी जाये। परिसम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत एडवान्स बैंक ड्राफट सहित निर्धारित तिथि को प्रातः 10-00 बजे से 12-00 बजे तक आवेदन प्राप्त किये जायें और अपरान्ह 1-00 बजे आबंटन कर दिया जाये। यदि एक ही सम्पत्ति के एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो निर्धारित स्थल पर अपरान्ह 1-00 बजे से 2-00 बजे के मध्यम लाटरी द्वारा आबंटन कर दिया जाये तथा असफल आवेदक का बैंक ड्राफट तत्समय वापस कर दिया जाये। इन भवनों का निस्तारण योजना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह के लिये "जहाँ है, जैसे है" के आधार पर किया जाये।

माननीय विधायक श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि सरकारी विभाग/संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को एक व दो कमरे के भवन आबंटन हेतु कार्ययोजना तैयार करने पर विचार किया जाये जिसमें नियोक्त, प्राधिकरण व कर्मचारी के बीच त्रिपक्षीय अनुबन्ध के आधार पर भवनों की बिक्री की अच्छी सम्भावना हो सकती है ।

सचिव आवास ने सुझाव दिया कि जब भी कोई नयी योजना खोली जाये तो आवेदकों से बैंक एकाउन्ट नम्बर व बैंक शाखा का नाम आवेदन पत्र में उल्लिखित किया जाये ताकि असफल आवेदकों को उनकी धनराशि की वापसी एकाउन्ट पेयी चैक के रुप में की जा सके ।

मद संख्या - 7

प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों के पंजीकरण/आरक्षण, आबंटन, आबंटन परिवर्तन, एकमुश्त अदायगी पर छूट, धन वापसी, पुर्नस्थापना तथा व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों एवं विद्यालय हेतु आरक्षित भूखण्डों के विक्रय की प्रक्रिया संशोधित किया जाना ।

इस मद से सम्बन्धित विवरण यद्यपि कार्यसूची के पृष्ट सं०- 34 से 40 तक प्रस्तुत किया गया था तथापि अध्ययन एवं विचार विमर्श की सुगमता हेतु प्रस्ताव को पृथक से सारिणीवद्ध करते हुए प्रस्तु किया गया । फलत: उक्त मूल प्रस्ताव के स्थान पर सारिणी (चार्ट) के रुप में प्रस्तुत प्रस्ताव को इस मद से सम्बन्धित विवरण स्वीकार करते हुए प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं (1 से 8 तक) की स्वीकृति प्रदान की गयी । बिन्दु-4 के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि एकमुशत भुगतान करने पर प्रस्ताव के अतिरिक्त यदि किसी आबंटी द्वारा 80 प्रतिशत भुगतान करने से पूर्व की दशा में समस्त बकाया धनराशि एकमुश्त जमा करने का आवेदन किया जाता है तो उसे अवशेष बकाया परिसम्पत्ति के मूल्य का (ब्याज छोडकर) दो प्रतिशत छूट अनुमन्य होगा । यह भी निर्णय लिया गया कि एकमुशत भुगतान करने वाले आवेदकों को आबंटन में वरीयता प्रदान की जाये ।

मद संख्या - 8

मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन/ वर्कजार्च कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक दरों में वृद्धि किये जाने तथा भविष्य निधि फण्ड कटौती व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार से चर्चा की गयी। सचिव आवास द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा दैनिक वेतन कर्मचारियों के पारिश्रमिक पुनरीक्षण के सम्बन्धमें प्रस्ताव वित्त विभाग से अनुमोदन के उपरान्त श्रम विभाग की अनापत्ति के लिये भेजा गया है, वहाँ से प्राप्त होने पर निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

निर्णय लिया गया कि शासन के निर्णय के अनुरुप प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षित पारिश्रमिक प्रदान किया जाये। प्राधिकरण अपने स्तर से पारिश्रमिक दरों का संशोधन न करे।

प्राधिकरण द्वारा जुलाई, 96 में शासन को 154 पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर शासन द्वारा अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। यह भी निर्णय लिया गया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण शासन से पदों की स्वीकृति प्राप्त होते ही शीघ्र किया जाये तथा पदों की स्वीकृति हेतु अनुस्मारक भेजा जाये।

मद संख्या - 9

मेरठ विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) (प्रथम संशोधन) उपविधि 1997 में कतिपय शिथिलिकरण हेत प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी। प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रुप से स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्णय लिया गया कि यदि इस प्रस्ताव के सम्बन्धमें सदस्यों को कोई विचार रखने हों तो वे एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष/आयुक्त को अवगत करा दें। सचिव आवास द्वारा अवगत कराया गया कि सामान्य प्रकार की योजना को सरलीकृत रुप में बनाया गया है, उसका भी अध्ययन कर लिया जाये तथा अध्यक्ष के अनुमोदन से यथाबाँछित संशोधन सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जायें।

श्री महेश सिंघल, माननीय सदस्य द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-26 व 27 के अन्तर्गत दायर वादों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता की फीस के पुनरीक्षण का मामला उठाया गया। अभी तक अधिवक्ता को रुपये 50 प्रति वाद की दर से भुगतान किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि यह धनराशि बहुत कम है।

निर्णय लिया गया कि इन्हें रुपये 100 प्रति केस की दर से भुगतान किया जाये। श्री महेश सिंघल, माननीय सदस्य द्वारा इन्हीं अधिवक्ता को रिटेनरशिप पर रखे जाने का अनुरोध किया गया जिस पर निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष मामले का परीक्षण कर व्यवहारिकता के आधार पर निर्णय लें।

मद संख्या - 10

ग्राम रैसना के खसरा संख्या 198 से 211 के आवासीय भूउपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी। प्रस्ताव इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया गया कि समान भूउपयोग के अन्य मामलों में समानता के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लेने का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण का होगा तथा ऐसे मामलों में लिये गये निर्णय को आगामी बोर्ड बैठक में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

मद संख्या - 11

रक्षापुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत बसन्त बिहार सहकारी आवास समिति के पक्ष में 13-21 एकड भूमि छोडे जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी, मेरठ ने यह मन्तव्य व्यक्त किया कि एक बार जब बोर्ड की बैठक में पहले यह निर्णय लिया जा चुका है कि नियमानुसार सहकारी आवास समिति के पक्ष में यह भूमि छोड दी गयी है तो पुनः यह प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष किस हेतु प्रस्तुत किया गया है। सचिव द्वारा स्पष्ट किया गया कि पिछली बार अनुमोदन प्रदान करते समय बोर्ड द्वारा यह शर्त लगायी गयी थी कि इस बात का आंकलन कर लिया जाये

कि इस प्रकार से छोडी जाने वाली भूमि के फलस्वरुप प्राधिकरण को कोई वित्तीय हानि नहीं होनी चाहिए। सचिव ने बताया कि अब प्रस्तुत प्रस्ताव में यह इंगित किया गया है कि इस भूमि को रखने से प्राधिकरण को कितनी सम्भावित आय हो सकती है, इस पर जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि सम्भावित आय केवल सम्भावना पर आधारित है और प्राधिकरण के पास पहले से ही काफी भूमि उपलब्ध है जिसका आबंटन एवं निस्तारण प्राधिकरण नहीं कर पाया है। अत: शासन स्तर पर एवं प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार भूमि को छोड जाना ही श्रेयष्कर होगा। माननीय विधायक लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा जानकारी चाही गयी कि उक्त योजना में भवनों/भूखण्डों के आबंटन की क्या स्थिति है। अवगत कराया गयाकि रक्षापुरम योजना के एच०आई०जी० भूखण्ड 191 में से 129 व एम०आई०जी० भूखण्ड 176 में 144 आबंटित है तथा एच०आई०जी० भवन 52 में से 50 व एम०आई०जी० समस्त भवन आबंटित है। विचार विमर्श के दौरान यह बात इंगित की गयी कि इस योजना में परिसम्पत्ति की माँग अच्छी है।

सचिव आवास महोदय ने भी यी मन्तव्य व्यक्त किया कि सहकारी आवास समिति के पक्ष में भूमि छोडे जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा अभी हाल ही में दिनाँक 2-6-98 को एक शासनादेश जारी किया गया है। इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रस्ताव को देख लिया जाये।

विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गयां कि शासनादेश के अनुरुप वर्तमान प्रकरण में निर्णय लिया जाये, यदि इस प्रकार के अन्य सहकारी आवास समितियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हों तो उन पर भी शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाये।

मद संख्या - 12

श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेज-1 में बर्ष 1988 में आबंटित भूखण्डों के विवादित पाये जाने के फलस्वरुप आबंटियों की रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय के क्रम में श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेज-प्रथम व द्वितीय

में आरक्षित भूखण्डों को पूर्व दर रुपये 440/- प्रति वर्गमीटर से आबंटित किया जाना एवं विवाद अवधि के लिये ब्याज न लिया जाना।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 13

श्री रामानन्द गोयल द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या 248/96 में उपविभाजन शुल्क कम किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि शासन के आदेश दिनाँक 6 मई, 1996 तथा प्राधिकरण द्वारा माडल उपविधि को लागू करने का दिनाँक 2-8-96 के बीच की अवधि में इस प्रकार के कितने मामले और हैं, परीक्षण कर सूची अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाये। यदि ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक नहीं है तो प्रार्थी श्री रामानन्द गोयल व ऐसे अन्य सभी मामलों को शासनादेश जारी होने की तिथि से लाभ देने के लिये अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

मद संख्या - 14

औद्योगिक ईकाईयों में फ्रन्ट सैट बैक में बाचमैन के लिये कमरा बनाये जाने के सम्बन्धमें।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 15

रामनगर में नियमित की गयी कालोनी के तलपट मानचित्र मे संशोधन के सम्बन्धमें।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 16

भवन उपविधि - 1994 में व्यवसायिक/कार्यालय व अन्य भवनों के निर्माणों में सैट बैक के संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि केवल व्यवसायिक निर्माण हेतु 201 से 350 वर्गमीटर भूखण्ड के लिये अग्रभाग में 6 मीटर व पृष्ठ भाग में 3 मीटर तथा 351 से 500 वर्गमीटर भूखण्ड के लिये अग्रभाग में 6 मीटर व पृष्ठ भाग में 3 मीटर व पार्श्व भाग में एक ओर तीन मीटर साईट सैट बैक निर्धारित करने के संशोधन के साथ प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी स्पष्ट किया गया कि कि यह सुविधा कार्यालय/संस्थागत/सामुदायिक सुविधायें/सभा भवन के लये अनुमन्य नहीं होगा।

मद संख्या - 17

औद्योगिक भवन के निर्माणों के अन्तर्गत एफ० ए० आर० की अनुमन्यता बढाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। माननीय विधायक श्री अमित अग्रवाल द्वारा 500 वर्गमीटर भूखण्ड हेतु 1.5 एफ० ए० आर०, 1000 वर्गमीटर के लिये 1.2 एफ० ए० आर० व 1000 से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड के लिये 1.00 एफ० ए० आर० रखे जाने का प्रस्ताव किया गया।

विचरोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण समस्त पहलुओं पर परीक्षण कर अपनी संस्तुति शासन को भेज दें।

मद संख्या - 18

मेरठ महायोजना - 2001 में "कृषि हरित पटटी" भूउपयोग में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की अनुमति हेतु।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 19

जिला कमान्डेन्ट, होमगार्डस विभाग को प्राधिकरण कार्यालय भवन में किराये पर स्थान दिया जाना।

प्रस्ताव पर विचार किया गया। चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि प्रति दो बर्ष बाद किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की सामान्य शर्त प्राधिकरण द्वारा लगायी गयी है परन्तु होमगार्ड विभाग द्वारा इस पर अपनी सहमति नहीं दी जा रही है, फलस्वरुप रेन्ट डीड (अनुबन्ध) हस्ताक्षरित नहीं हो पा रहा है। निर्णय लिया गया कि प्रथम दो बर्ष के लिये किराया निर्धारित कर डीड निष्पादित करा लिया जाये और इस दौरान होमगार्ड विभाग, शासन को दो बर्ष उपरान्त किराये दर में 15 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर लें। यदि अनुमति प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें यह भवन खाली करना होगा।

मद संख्या - 20

प्राधिकरण की रक्षापुरम योजना में मेरठ स्टेडियम क्लब को लीज पर आबंटित 1255 वर्गमीटर भूमि के प्रीमियम निर्धारण हेतु।

प्रसताव पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पिछली बैठक दिनाँक 30-3-98 में क्लब से भूमि का कोई प्रीमियम न लिये जाने की बात तय हो गयी थी और जब एक बार किसी बिन्दु पर सग्र पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया जा चुका है तो उसे मामले की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

निर्णय लिया गया कि स्टेडियम क्लब से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाये किन्तु भूमि का स्वामित्व प्राधिकरण का रहेगा। क्लब से 100 रुपये प्रतिमाह की दर से किराया लिया जायेगा।

मद संख्या - 21

मैसर्स इन्डस वैली प्रमोटर्स की हर्ष नगर योजना में जब्त की गयी अग्रिम जमानत राशि रु० 5,00,000/- की वापसी के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचार किया गया। अवगत कराया गया कि मैसर्स इन्डस वैली प्रमोटर्स लि० द्वारा प्रार्थना की गयी है कि उनका पक्ष सुन लिया जाये। निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण इस मामले में मैसर्स इन्डस वैली प्रमोटर्स लि० का पक्ष सुन लें तथा प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या - 22

बेगम ब्रिज सैन्ट्रल वर्ज पर प्राधिकरण द्वारा विकसित वाटिका/रेलिंग के रख रखाव व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विज्ञापन पट लगाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 23

सम्पत्ति अनुभाग, विधि, लेखा, मानचित्र व अन्य अनुभागों से सम्बन्धित अभिलेखों/सूचनाओं एवं लम्बित प्रकरणों के निस्तारण से सम्बन्धित कार्यो का कम्प्यूटराईजेशन कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 24

श्री रामपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता के हिपेटाईटिस-ई से ग्रस्त होने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 25

इन्टर नेशनल प्रोग्रेसिव एजूकेशन सोसायटी, मेरठ को पल्लवपुरम योजना में हाई स्कूल हेतु आबंटित भूखण्ड का रिफन्ड व गंगानगर आवासीय योजना में 8205 वर्गमीटर भूमि हाई स्कूल हेतु आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 26

मेरठ विकास प्राधिकरण की पल्लवपुरम, श्रद्धापुरी (प्रथम चरण), श्रद्धापुरी (द्वितीय चरण), सैनिक बिहार एवं डिफैन्स एन्क्लेब आवासीय योजनाओं में आबंटियों के पक्ष में पूर्व आंकलित/ आबंटित दरों पर ही निबन्धन किया जाना।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। आबंटियों द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि 4 बर्ष की अवधि में 18 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 27

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जनपद स्तरीय न्यायालयों द्वारा प्रतिकर की धनराशि बढाकर व्यापार कर विभाग के खाते की धनराशि कुर्क करते हुए वितरित किये गये धन का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाना।

अवलोकित किया गया।

मद संख्या - 28

डा० राम मनोहर लोहिया नगर आवासीय योजना के सैक्टर-आई में कैंची उद्योग से जुडे उद्यमियों के लिये आवासीय सह कार्यशाला हेतु भूमि की दर निर्धारित किया जाना।

माननीय विधायक श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा हथकरघा नगर योजना का मामला उठाया गया। डा० राम मनोहर लोहियानगर आवासीय

योजना में कैंची नगर की स्थापना हेतु भूखण्ड की दर निर्धारित करने के सम्बन्धमें एक समिति गठित की गयी जिसमें अपर निदेशक उद्योग, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, हाजी निजामुददीन, सभासद/सदस्य, माननीय विधायक श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी एवं वित्त नियन्त्रक, मेरठ विकासप्राधिकरण को शामिल किया गया ।

समिति अपनी संस्तुति उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी तथा अध्यक्ष को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया ।

अनुपूरकमद संख्या - 1

अनियमित कालोनियों के ले-आउट प्लान स्वीकृत करने एवं कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में सिंगल प्वाइंट एजेन्डे के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

अनुपूरकमद संख्या - 2

विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ड्रेनेज (जल निकासी) हेतु अपेक्षित सुधार किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में सिंगल प्वाइंट एजेन्डे के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

अनुपूरकमद संख्या - 3

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पश्चिमी उ०प्र० के महाशिविर दिनाँक 20, 21 एवं 22 नवम्बर, 98 के आयोजन हेतु गंगानगर योजना में नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि बार्षिक लगान की दर से एक बर्ष का राजस्व आय प्राप्त किया जाये ।

अनुपूरकमद संख्या - 4

पल्लवपुरम आवासीय योजना फेज-2 के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग भवन संख्या- एम० एच०-6 का श्रीमती पी० बी० यशोदा के पक्ष में किया गया आरक्षण/सशर्त आबंटन के निरस्तीकरण के फलस्वरुप जमा धनीाराशि बिना कटौती वापस किया जाना।

विचारोपरान्त अस्वीकृत किया गया।

अनुपूरकमद संख्या - 5

आरा मशीन, घरेलू रसोई गैस गोदाम, सरकारी कार्यालय को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में सिंगल प्वाइंट एजेन्डे के साथ प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरकमद संख्या - 6

वाहन भत्ते के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

वाहन भत्ते की दरें रु० 200-00 के स्थान पर रुपये 300-00 व रुपये 500-00 के स्थान पर रुपये 600-00 किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनुपूरकमद संख्या - 7

श्री रामअवतार अनुचर, मेरठ विकास प्राधिकरण की पत्नी की चिकित्सा में व्यय किये गये धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

मद संख्या-24 में लिये गये निर्णय के अनुसार ही इस मामले में भी कार्यवाही की जाये।

अनुपूरकमद संख्या - 8

प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजनान्तर्गत अर्जित भूमि गाटा सं०-178 मि० क्षे०फ० 3327 वर्गगज के बदले में भूमि दिया जाना।

प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। चूँकि धारा 194 (4) जमीदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत पटटा निरस्तीकरण का वाद अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के न्यायालय द्वारा निर्णय होने तक स्थिति मे परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होगा। अर्जित भूमि का हस्तान्तरण अनुमन्य न होने के कारण प्रस्ताव निरस्त किया गया।

अनुपूरकमद संख्या - 9

मेरठ महायोजना - 2001 में दर्शित रोहटा रोड की प्रस्तावित चौडाई के संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मार्ग का सर्वेक्षण मानचित्र बोर्ड के सदस्यों को अवलोकित कराया गया। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मार्ग की चौडाई कम से कम 90 फीट रखी जाये तथा स्थल की वीडियों रिकार्डिंग कराकर अनाधिकृत निर्माण को हटाया जाये। वीडियों रिकार्डिंग की कई प्रतियाँ करायी जायें तथा एक प्रति कोषागार के डब्ल लाक में रखवायी जाये तथा स्थल पर अतिक्रमण न होने की जिम्मेदारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष व प्राधिकरण के प्रभारी की निर्धारित की जाये।

अन्त में उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगणों के प्रति आभार प्रकट किया गया। तदनुसार बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

ह०/-
सचिव
विकास प्राधिकरण, मेरठ

ह०/-
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण, मेरठ।

ह०/-
अध्यक्ष
विकास प्राधिकरण, मेरठ।